मूल वाद में (अंतिम) डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– सुनील कुमार चौहान, आर.ए.एस.

राजस्व वाद सं.– 173/2019
निर्णय दिनांक :– 06.12.2021

धर्मपाल आदि **बनाम** जगतसिंह आदि

दावा– खाता विभाजन

–:निर्णयः–

वादीगण की ओर से **श्री मुकेश चौधरी एडवोकेट** की उपस्थित में व प्रतिवादीगण की अनुपस्थिति में इस वाद में आज दिनांक **06.12.2021** को **सुनील कुमार चौहान उपखण्ड अधिकारी, बुहाना** के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि–

" न्यायालय वाद वादी बाबत खाता व लगान विभाजन प्राथमिक डिकी किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः वाके ग्राम काजलां तहसील बुहाना भूमि हाल खाता संख्या 76 जमाबंदी 2075–78 के हाल खसरा नम्बर 195 रकबा 2.16 है., एवं ग्राम बलौदा तहसील सूरजगढ स्थित भूमि हाल खाता संख्या 346 जमाबंदी सं. 2074–77 के खसरा नम्बर 308 रकबा 2.50 है., खसरा नम्बर 313 रकबा 1.99 है. किता 2 कुल रकबा 4.49 है.. का खाता एवं लगान विभाजन मुताबिक विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ" व नक्शा प्रदर्श "ब" के वाद को अंतिम डिक्री किया जाता है। अतः मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव "प्रदर्श अ" व नक्शा प्रदर्श "ब" के अलग–अलग खाता कायम किया जाकर आनुपातिक लगान अलग–अलग कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। विभाजन प्रस्ताव "अ" व नक्शा प्रदर्श "ब" इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार बुहाना/सूरजगढ को रिकॉर्ड में अमल करने हेतु लिखा जावे। रहन यदि कोई हो तो सम्बंधित खातेदार को प्राप्त होने वाले ख.न./रकबे/हिस्से के विरूद्ध दर्ज किया जावे। "

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख **06.12.2021** को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

उपखण्ड अधिकारी
पदेन सहायक कलक्टर
बुहाना जिला-झुंझुनूं (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2022.02.16 16:42:14 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी:– सुनील कुमार चौहान, आर.ए.एस.

वाद पत्र संख्या– 173/2019

1. धर्मपाल पुत्र रामजीलाल जाति जाट निवासी निवासी काजलां तहसील बुहाना।
2. प्रवीण देवी उर्फ प्रवीन बाला पत्नी अजीत जाति जाट निवासी काजलां हाल आबाद मकान नम्बर 895/5 अम्बेडकर नगर शिव बाडी रोड़ बीकानेर।
3. सनी श्योराण पुत्री अजीत जाति जाट निवासी काजलां तहसील बुहाना।
4. निखा श्योराण पुत्री अजीत जाति जाट निवासी काजलां हाल आबाद मकान नम्बर 895/5 अम्बेडकर नगर शिव बाडी रोड़ बीकानेर।

..........वादीगण

बनाम

1. जगतसिंह पुत्र रामजीलाल जाति जाट निवासी काजलां तहसील बुहाना हाल आबाद 5 डी/163 जयनारायण व्यास कॉलोनी बीकानेर।
2. जगमाल पुत्र रामजीलाल जाति जाट निवासी काजलां तहसील बुहाना हाल आबाद डा0 जगमालसिंह श्योराण मकान नम्बर ए/0 दिनदयाल नगर हरिद्वार रोड़ नजदीक साई बाबा मंदिर मुरादाबाद उत्तर प्रदेश।
3. सुभाष चन्द्र पुत्र रामजीलाल जाति जाट निवासी काजलां तहसील बुहाना हाल आबाद 130 मोतीनगर नजदीक चोर गुम्बद सिंधाना रोड़ नारनौल जिला महेन्द्रगढ हरियाणा।
4. उषा पत्नी हरिसिंह जाति जाट निवासी काजलां तहसील बुहाना हाल आबाद ए/304 हनुमान नगर एक्सटेंशन जयपुर।
5. अभिषेक पुत्र हरिसिंह जाति जाट निवासी काजलां तहसील बुहाना हाल आबाद ए/304 हनुमान नगर एक्सटेंशन जयपुर।
6. आकांक्षा पुत्री हरिसिंह जाति जाट निवासी काजलां तहसील बुहाना हाल आबाद ए/304 हनुमान नगर एक्सटेंशन जयपुर।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बुहाना।

..........प्रतिवादीगण

वाद पत्र– अन्तर्गत खाता विभाजन

दिनांक :– 06.12.2021

–:निर्णय:–

वादीगण ने वाद पत्र प्रस्तुत कर अनुतोष चाहा है कि–

(क). वाके ग्राम काजलां तहसील बुहा[illegible]ल खाता संख्या 76 जमाबंदी 2075–78 के हाल खसरा नम्बर 195 रकबा 2.[illegible] वादी संख्या 1 का 1/6, वादी संख्या 2 लगायत 4का [illegible] ग्राम बलौदा तहसील सूरजगढ स्थित भूमि हाल खाता संख्या 346 [illegible]बंदी सं. 2074–77 के खसरा नम्बर 308 रकबा 2.50 है., खसरा नम्बर 313 रकबा 1.99 है. किता 2 कुल रकबा 4.

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2022.02.16 16:42:14 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलक्टर
बुहाना जिला झुंझुनूं (राज.)

49 है. में वादी संख्या 1 का 1/6 हिस्सा, वादी संख्या 2 लगायत 4 का 1/6 हिस्सा का खाता विभाजन बाहमी बंटवारे कब्जे कास्त व बंटवारानामा 1994 को प्राथमिकता देते हुए किया जाकर राजस्व रिकार्ड के अनुसार अमल दरामद किया जावे। विभाजन प्रस्ताव हेतु तहसीलदार बुहाना व सूरजगढ दोनो को तहरीर जारी की जाकर कब्जेकास्त व बंटवारे अनुसार विभाजन किया जावे।

दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण सम्यक तामील के बाद दिनांक 24.03.2021 दावा को प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार बुहाना को कुर्रेजात प्रस्ताव हेतु लिखा गया। तहसीलदार बुहाना से कुर्रेजात रिपॉर्ट दिनांक 05.08.2021 को प्राप्त हुई ।

बहस सुनी गई।

पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं बहस पर मनन किया गया। कुर्रेजात रिपोर्ट विधिक प्रावधानों के अनुसार तैयार की गई है। अतः न्यायालय उपर्युक्त विवेचनानुसार वाद वादी अन्तिम डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है।

–::आदेश::–

न्यायालय वाद वादी बाबत खाता व लगान विभाजन प्राथमिक डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः वाके ग्राम काजलां तहसील बुहाना भूमि हाल खाता संख्या 76 जमाबंदी 2075–78 के हाल खसरा नम्बर 195 रकबा 2.16 है., एवं **ग्राम बलौदा तहसील सूरजगढ** स्थित भूमि हाल खाता संख्या 346 जमाबंदी सं. 2074–77 के खसरा नम्बर 308 रकबा 2.50 है., खसरा नम्बर 313 रकबा 1.99 है. किता 2 कुल रकबा 4.49 है.. का खाता एवं लगान विभाजन मुताबिक विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श ''अ'' व नक्शा प्रदर्श ''ब'' के वाद को अंतिम डिक्री किया जाता है। अतः मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव ''प्रदर्श अ'' व नक्शा प्रदर्श ''ब'' के अलग–अलग खाता कायम किया जाकर आनुपातिक लगान अलग–अलग कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। विभाजन प्रस्ताव ''अ'' व नक्शा प्रदर्श ''ब'' इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार बुहाना/सूरजगढ को रिकॉर्ड में अमल करने हेतु लिखा जावे। रहन यदि कोई हो तो सम्बंधित खातेदार को प्राप्त होने वाले ख.न./रकबे/हिस्से के विरूद्ध दर्ज किया जावे। उक्तानुसार अंतिम पर्चा डिक्री जारी हो।

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलक्टर
बुहाना जिला झुंझुनूं (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2022.02.16 15:42:14 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक **06-12-2021** को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर इस न्यायलय के मुद्राकित सरे इजलास सुनाया गया।

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलक्टर
बुहाना जिला झुंझुनूं (राज.)